



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227501
CG-DL-E-11062021-227501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2076]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2076]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2236(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. १९१५(अ), ता.ता. १७.०६.२०२०, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH-927D के कि.मी. 72.200 से कि.मी.107.500 (धोराजी - जामकंडोरणा - कालावड - जामनगर सेक्शन) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "टाईम्स ओफ इंडीया" ता.०७.०७.२०२० और "दिव्य भास्कर" ता.०७.०७.२०२० को दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH-927D के कि.मी. 72.200 से कि.मी.107.500 (धोराजी - जामकंडोरणा - कालावड - जामनगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: राजकोट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: धोराजी				
	गांव का नाम: धोराजी				
1	747/3/P	निजी	कृषि	0.0348	हितेशभाई हंसराजभाई बाबरीया (७४७/३/पै)
	गांव का नाम: वेगडी				
2	85	निजी	कृषि	0.313	राजेशभाई हंसराजभाई रादडीया (८५)
	तालुक का नाम: जामकंडोरणा				
	गांव का नाम: जसापर				
1	133/P	निजी	कृषि	0.1789	श्रीमान आणंदभाई प्रेमजीभाई दोंगा (१३३/पै)
	गांव का नाम: रायडी				
2	365/P	निजी	कृषि	0.0025	जेन्तीभाई जेरामभाई रेणपरा (३६५/पै)
	गांव का नाम: तरवडा				
3	10	निजी	कृषि	0.018	किशोरभाई गंगदासभाई गढीया (१०)
4	11/1/1	निजी	कृषि	0.1322	मावजीभाई करमसीभाई धामी (११/१/१)
	गांव का नाम: थोरडी				
5	118 Paiki 3	निजी	कृषि	0.0361	श्रीमान लालजीभाई मेरामभाई कंदोरीया (११८ पैकी ३)

6	120	निजी	कृषि	0.0032	नटुभाई वरजांगभाई (१२०)
गांव का नाम: वावडी					
7	2	निजी	कृषि	0.1986	श्रीमान सिध्दराजसिंह भिखुभा जाडेजा (२)
			कुल	0.9173	

[फा. सं. RW/NH/12012/03/2016/PS-4/GJ/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2236 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 1915(E), Dtd.17.06.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-927D on the stretch of land from Km 72.200 to Km 107.500 (Dhoraji - Jamkandorna - Kalavad - Jamnagar Section) in the District of RAJKOT in the State of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” Dtd.07.07.2020 and “Divya Bhaskar” Dtd. 07.07.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-927D in the stretch of land from Km 72.200 to Km 107.500 (Dhoraji - Jamkandorna - Kalavad - Jamnagar Section) in the District of RAJKOT in the State of GUJARAT.

State: GUJARAT			District: RAJKOT		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhoraji					
Village: Dhoraji					
1	747/3/P	Private	Agriculture	0.0348	Hiteshbhai Hansarajbhai Babariya 747/3/P

	Village: Vegdi				
2	85	Private	Agriculture	0.313	Rajeshbhai Hansarajbhai Radadiya 85
	Taluk: Jamkandorna				
	Village: Jasapar				
1	133/P	Private	Agriculture	0.1789	Shreeman Anandbhai Premjibai Donga 133/P
	Village: Raydi				
2	365/P	Private	Agriculture	0.0025	Jentibhai Jerambhai Renapara 365/P
	Village: Taravda				
3	10	Private	Agriculture	0.018	Kishorbhai Gangdasbhai Gadhiya 10
4	11/1/1	Private	Agriculture	0.1322	Mavajibhai Karamashibhai Dhami 11/1/1
	Village: Thordi				
5	118 Paiki 3	Private	Agriculture	0.0361	Shreeman Laljibhai Merambhai Kandoriya 118 Paiki 3
6	120	Private	Agriculture	0.0032	Natubhai Varjangbhai 120
	Village: Vavdi				
7	2	Private	Agriculture	0.1986	Shreeman Siddharajsinh Bhikhubha Jadeja 2
			TOTAL	0.9173	

[F. No. RW/NH/12012/03/2016/PS-4/GJ/3D]

RAJESH GUPTA, Director